371

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 658794

13 FEB 2007

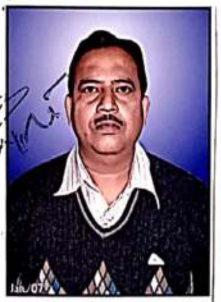

Sapna Jain.

<u>कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम</u>

<u>चिरस्थाई पटटा सहकारी</u>

• प्रथम पक्ष	:-	आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0
• द्वितीय पक्ष	:-	श्रीमति सपना जैन
• प्रीमियम	:-	16,000/- रूपये
• निर्धारित दर	:-	2,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर
• मालियत	:-	3,24,000/- रूपये
• स्टाम्प शुल्क	:-	16,200/- रूपये

हम कि **आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर (Alok Co-Operative Housing Society Ltd)** {पंजीकरण संख्या 1210} {द्वारा **तेजराज गुप्ता** पुत्र श्री बाबूराम गुप्ता निवासी 4, प्रेम विहार मुजफ्फरनगर 'सचिव' समिति} {जिसे इसके बाद विलेख में समिति या प्रथम पक्ष कहा जायेगा} प्रथम पक्ष व

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Sapna Jain.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 658793

13 FEB 2007

मुजफ्फरनगर

श्रीमति सपना जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन निवासी 2, रेनबो विहार, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर {'सदस्य' आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर जिनकी समिति में सदस्यता नम्बर 1035 है} द्वितीय पक्ष हैं।

जो कि प्रथम पक्ष ने अपने सदस्यो की आवासीय मॉग की आपूर्ति हेतु परगना व तहसील मुजफ्फरनगर ग्राम बीबीपुर के स्थित गाटा संख्या 1,2,4,8,9, 10,11,12,13,16,20,21 व 22 मि0, ग्राम कूकडा स्थित गाटा संख्या 481, 485 मि0 497 मि0, व 498 मि0 तथा ग्राम शेरनगर स्थित गाटा संख्या 15 मि0 16,17,18 मि0, को उनके भूस्वामियो से क्रय किया तथा उक्त भूमि अब पूर्णतः समिति के स्वामित्व एवं कब्जे में है, इस भूमि को कालोनी का स्वरूप देकर, इसका नाम 'सुरेन्द्रनगर' रखा गया तथा इस हेतु भूखण्डों को तलपट मानचित्र {लेआउट प्लान} बनवा कर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत कराया गया। प्रत्येक सदस्य के लिये भूखण्डों का चयन सदस्यो की उपस्थिति में लाटरी पद्धति से किया गया। तदानुसार भूखण्ड सं0 255 Phase-II जिसका विवरण दिया गया है, का आबंटन **श्रीमति सपना जैन** पत्नी श्री राजेश कुमार जैन निवासी 2, रेनबो विहार, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, जिसे इसके बाद द्वितीय पक्ष कहा जायेगा को किया गया है। अतः यह भूखण्ड प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तो पर आवास गृह बनवाने हेतु चिरस्थाई पटटे पर दिया। अतः दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तो से स्वयं को तथा अपने अपने उत्तराधिकारियों को पाबन्द करते है:-

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Sapna Jain.

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 658792

13 FEB 2007

मुजफ्फरनगर

1. यह कि द्वितीय पक्ष और उसके उत्तराधिकारी को आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर के नियमो से पाबन्द होगें।
2. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अंकन 16,000/-रुपये जिसके आधे अंकन 8,000/- रुपये होते है, अदा किये है और प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड से अपना कब्जा मौका पर से उठा कर द्वितीय पक्ष का कब्जा अपने तुल्य करवा दिया है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष आधिपत्य प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रदत्त समय अवधि के भीतर, आबंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण करेगा और यदि किसी कारणवश निर्माण न कर सके तो समिति उक्त को उन कारणो से सूचित कर समिति से लिखित रूप में, अवधि बढाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा ऐसा न करने की दशा में समिति को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्ड का प्रतिदान देकर {जिसकी धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई धनराशि से अधिक नही होगी} चिरस्थाई पटटा रदद कर दे और अन्य जरूरतमन्द सदस्यों को चिरस्थाई पटटे पर दें।
4. यह कि द्वितीय पक्ष आबंटित भूखण्ड पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के नियमानुसार निर्माण करेगा और भवन निर्माण करने में समिति द्वारा आबंटित भू भाग {हर हदूदरबों} से अधिक अन्य भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा और समिति की जल सप्लाई लाईन पर मोटर पम्प {टुल्लू पम्प} इत्यादि नही लगायेगा व सार्वजनिक सडक व सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुँचायेगा। तथा पशु इत्यादि पालने की दशा में उक्त पशु को समिति द्वारा आबंटित भू भाग के

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Sapna Jain.

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

B 149533

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 FEB 2007

हदूदरबो में ही रखेगे किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग पशु इत्यादि के लिये नही करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण मे कोई नाली, रोशनदान, खिडकी ,छज्जा आदि पार्क या अन्य किसी भूखण्ड की ओर नही निकालेगा या खोलेगा तथा किसी प्रकार की कोई गन्दगी भवन के बाहर, सडक पर पार्क पर या किसी अन्य भूखण्ड पर नही करेगा। मकान में आवागमन हेतु आवश्यक चौडाई से अधिक नाला या नाली पर अतिक्रमण नही करेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष या उसके उत्तराधिकारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये मकान को प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करेगा। लिखित अनुमति के उपरान्त हस्तान्तरण के फलस्वरूप द्वितीय पक्ष भूखण्ड में जो शुद्ध लाभ अर्जित करेगा उसका 10 प्रतिशत समिति को अदा करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष लिखित अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थाई पटटा स्वतः रदद माना जावेगा। लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को सरकारी संस्थान, सहकारी संस्थान, आवास विकास परिषद ,सहकारी बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से कोई ऋण लेने के लिये या ऋण प्राप्त करने वाले गारन्टर के रूप मे रहन रख सकता है और इसके लिये प्रथम पक्ष की अनुमति आवश्यक नही होगी। वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण वसूली के लिये उक्त सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में प्रथम पक्ष से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नही होगी।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Sapna Jain.

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 941454

7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर निर्मित भवन मे कोई ऐसा किरायेदार नही रखेगा जिससे सुरेन्द्रनगर के निवासियों को या प्रथम पक्ष को कोई असुविधा या और हानि हो यदि वह ऐसा करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह ऐसे किरायेदार से उक्त भवन खाली कराके किसी अन्य किरायेदार को किराये पर दे दे।

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर केवल आवास निर्माण करेगा और इसका उपयोग केवल आवास प्रयोजन हेतु ही करेगा। भूखण्ड मे बनाये गये भवन मे कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक संस्थान स्थापित नहीं करेगा।

9. यह कि द्वितीय पक्ष सुरेन्द्रनगर मे शान्ति, अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने मे प्रबन्ध कमैटी से पूर्ण सहयोग करेगा और विहार के उत्थान एवं विकास के लिये प्रबन्ध कमैटी द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन करेगा।

अतः यह **चिरस्थाई पटटा** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

चिरस्थाई पटटा प्रथम पक्ष की ओर से समिति के सचिव ने समिति के संचालन मण्डल की बैठक दिनांक 20.1.2007 ई0 के प्रस्ताव सं0 3/2007 के अनुपालन मे निष्पादित किया। सचिव की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी। द्वितीय पक्ष सहकारी समिति का सदस्य है तथा सहकारी समिति के सदस्य पर 50 प्रतिशत की छूट नोटिफिकेशन सं0 एस0आर0-738/XX-33-75 / 25-4-1981 द्वारा है तथा महिलाओ के लिये अनुच्छेद 35 में अधिसूचना सं0 क सं0 वि0 5-3706/11-98-500(20)/98 दिनांक 31 अगस्त 1998 के लिये 2 प्रतिशत की छूट दी गयी।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd,
Muzaffarnagar

Sapna Jain.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 941455

12 FEB 2007

विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला **सुरेन्द्रनगर** Phase –II मुजफ्फरनगर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः-

दरोबस्त भूखण्ड 255 Phase – II जिसकी पैमायश इस प्रकार हैः- उत्तरः-18 मीटर, दक्षिणः-18 मीटर, पूर्वः-9 मीटर, पश्चिमः-9 मीटर, क्षेत्रफलः- 162 वर्गमीटर तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैः-उत्तरः- प्लाट नम्बर 256, दक्षिणः-प्लाट नम्बर 254, पूर्वः- प्लाट नं0 234 व 235, पश्चिमः- रास्ता 20 मीटर चौडा

नोटः- उक्त प्लाट ग्राम कूकडा के खसरा नम्बर 485 में स्थित है।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Sapna Jain.

साक्षीगणः-

1- Sandeep Jain
S/o Lt. Adesh Kumar Jain
2, Rainbow Vihar
Meerut Road
Muzaffar Nagar

2- Rajesh Kumar Jain
S/o Lt. Adesh Kumar Jain
2, Rainbow Vihar
Meerut Road
Muzaffar Nagar.

लेखतिथिः- 14.2.2007 ई0

ड्राफटकर्ताः- **संदीप अग्रवाल** एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।

Scanned with OKEN Scanner

Site Plan

...ituated at Mohalla SURENDRANAGAR Muzaffaranagar
...No 255 Phase –II

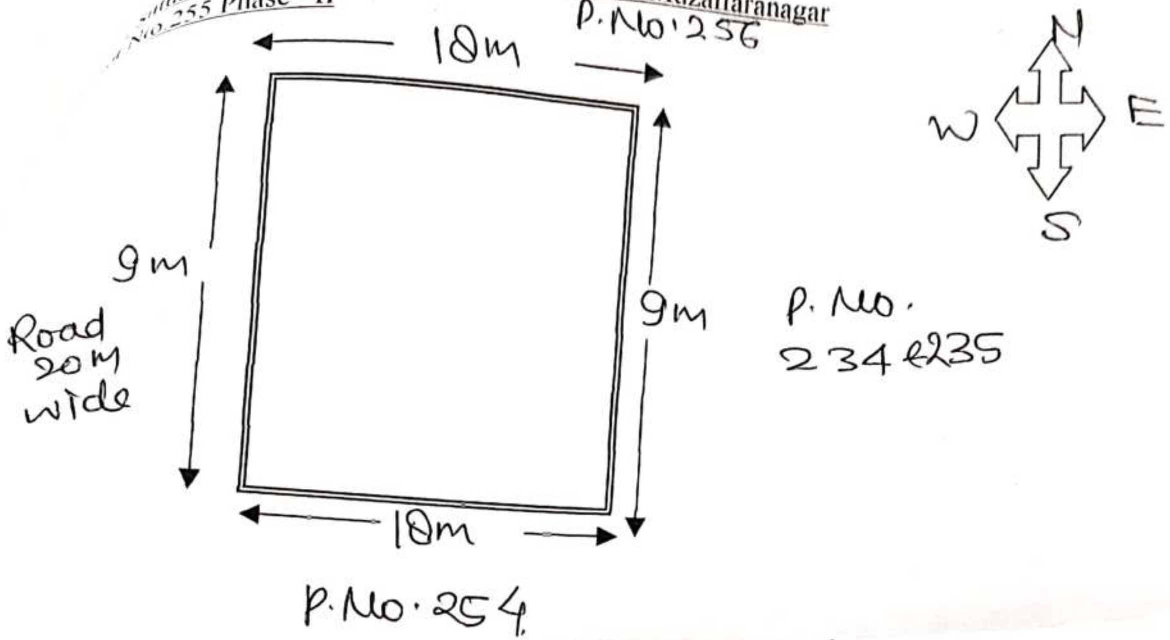

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक **17/02/2007** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **3382**

पृष्ठ सं. **377** से **392** पत्र कमांक **1844**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

17/2/2007

Scanned with OKEN Scanner